BCC BULLETIN

THE BIHAR CHAMBER OF COMMERCE

Vol. XXXXIII | 18th January 2012 | No. 1

चैम्बर की 84वीं आमसभा सम्पन्न

आमसभा को संबोधित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह। उनकी बायीं ओर क्रमशः श्री शशि मोहन, उपाध्यक्ष, श्री गणेश कुमार खेतड़ीवाल, नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष, श्री नन्हे कुमार, नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष एवं श्री इकबाल सिद्दीकी, अपर सचिव तथा दायीं ओर क्रमशः श्री राजा बाबू गुप्ता, महामंत्री, श्री सुबोध कुमार जैन, कोषाध्यक्ष तथा श्री संजय कुमार खेमका, नवनिर्वाचित महामंत्री

हॉल में उपस्थित सदस्यगण

चैम्बर की 84 वीं वार्षिक आमसभा संपन्न

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ८४वीं वार्षिक आमसभा दिनांक २९ दिसम्बर २०११ को राज्य के प्रसिद्ध उद्यमी श्री ओ० पी० साह सर्वसम्मति से पुनः अध्यक्ष निर्वाचित हुए। आमसभा ने सर्वसम्मति से ही श्री गणेश कुमार खेतड़ीवाल एवं श्री नन्हे कुमार को उपाध्यक्ष निर्वाचित किया एवं श्री सुबोध कुमार जैन को पुनः कोषाध्यक्ष निर्वाचित किया। श्री संजय कुमार खेमका नये सत्र के लिए महामंत्री निर्वाचित हुए।

श्री ओ० पी० साह
अध्यक्ष

श्री गणेश कुमार खेतड़ीवाल
उपाध्यक्ष

श्री नन्हे कुमार
उपाध्यक्ष

श्री सुबोध कुमार जैन
कोषाध्यक्ष

श्री संजय कुमार खेमका
महामंत्री

वार्षिक आमसभा ने निम्नलिखित सदस्यों को चैम्बर की कार्यकारिणी समिति का सदस्य निर्वाचित किया – सर्वश्री ए० के० पी० सिन्हा, अमर कुमार अग्रवाल, अनिल कुमार, अशोक कुमार, बद्री प्रसाद भीमसरिया, दिलीप जैन, गीतेश लोहिया, ओम प्रकाश टिबरेवाल, पवन कुमार अग्रवाल, राज कुमार, राज कुमार खेमका, राम लाल खेतान, रूपेश अग्रवाल, सतीश कुमार बंका, संजय कुमार भरतिया, शिवेश नारायण, सुरेन्द्र मोहन गुप्ता एवं उत्पल कुमार सेन।

केन्द्र सरकार बिहार को अविलम्ब विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करे

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 84 वें वार्षिक आमसभा की मांग

दिनांक 29 दिसम्बर 2011 को संपन्न हुए बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स की 84वीं वार्षिक आमसभा ने केन्द्र सरकार से अविलम्ब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिये जाने की मांग की।

राज्य में व्याप्त ऊर्जा की भारी कमी जिसका प्रतिकूल प्रभाव राज्य की आम जनता के साथ-साथ उद्योग एवं व्यवसाय पर पड़ रहा है, के आलोक में वार्षिक आमसभा ने केन्द्र सरकार से बिहार को Central Grid के द्वारा पर्याप्त ऊर्जा उपलब्ध कराने की मांग की जिससे राज्य का समेकित विकास हो सके।

चैम्बर की आमसभा ने बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के कार्यकलापों एवं मनमाने रवैये की कड़ी आलोचना करते हुए बोर्ड से आग्रह किया कि वे अपने कार्यप्रणाली में व्यापक सुधार लाए जिससे कि आम उपभोक्ताओं के साथ-साथ व्यवसाय एवं उद्योग को तुरंत राहत मिल सके, ताकि राज्य में औद्योगिकरण को और बल मिल सके। वार्षिक आमसभा ने निम्नलिखित विषयों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए – व्यापार एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ऊर्जा, वैट, श्रम सुधार, नगर विकास, रेलवे एवं परिवहन, कृषि तथा कृषि आधारित उद्योग। इन प्रस्तावों को संबंधित विभागों के माननीय मंत्री एवं प्रधान सचिव को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा जाएगा।

चैम्बर के सर्वसम्मति से पुनः निर्वाचित अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह ने अपने निर्विरोध निर्वाचन के लिए सभी सम्मानित सदस्यों को धन्यवाद दिया एवं उनके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया। उन्होंने राज्य के व्यवसायियों एवं उद्यमियों को आश्वस्त किया कि उनकी पूरी टीम राज्य के व्यवसायियों एवं उद्यमियों के हितों के लिए सदैव तत्पर एवं पूर्णरूपेण समर्पित रहेगा।

'एडवांटेज बिहार-इनकैशिंग अपार्च्यूनिटीज पर एसोचैम के बैनर तले हुई चर्चा

मौके को बदलना है हकीकत में

दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करते माननीय उपमुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी। उनकी दाँयीं ओर क्रमशः ऐसोचैम के अध्यक्ष श्री दिलीप मोदी एवं चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह तथा बाँयीं ओर क्रमशः ऐसोचैम के बिहार डेवलपमेंट काउंसिल के अध्यक्ष श्री रवि बिग और ऐसोचैम के महासचिव श्री डी० एस० रावत।

एसोचैम बिहार में विकास के दो कोर सेक्टर खाद्य प्रसंस्करण व कौशल विकास पर फोकस करेगा। बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स में दिनांक 14 दिसम्बर 2011 को एसोचैम द्वारा आयोजित 'एडवांटेज बिहार इनकैशिंग अपार्च्यूनिटीज' विषय पर आयोजित सम्मलेन में एसोचैम के अध्यक्ष दिलीप मोदी ने बताया कि बिहार में पर्याप्त संभावनाओं के मद्देनजर व्यापक योजना बनाई गई है।

उन्होंने कहा कि राज्य में पैदा हुए अवसरों को हकीकत में बदलने का वक्त है। उन्होंने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण के लिए क्लस्टर बनाकर काम करना होगा। इसके लिए मॉडल के रूप में दो जिलों का चयन किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था यूनेडो इसके लिए मदद देगी। इसके अलावा एसोचैम कौशल विकास पर काम करेगा। कम्प्यूटर, कारपेन्ट्री और इलेक्ट्रिशियन के क्षेत्र में हुनर तराशा जाएगा। अपारम्परिक ऊर्जा, सौर ऊर्जा, गारमेन्ट सेक्टर और चावल फैक्ट्री लगाने की यहाँ काफी संभावना है पर तकनीक मौजूद नहीं है।

एसोचैम के बिहार डेवलपमेंट काउंसिल के अध्यक्ष रवि बिग ने कहा कि बिहार देश की नीति निर्धारित करने की स्थिति में है। एसोचैम के राष्ट्रीय महासचिव डी० एस० रावत ने जैविक खेती पर ध्यान देने की वकालत की। बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह ने कहा कि चावल, मक्का, जूट, गन्ना, चाय, मसाले आदि सेक्टर में संभावनाएँ मौजूद हैं। सम्मेलन में श्रम संसाधन विभाग के प्रधान सचिव व्यासजी, बियाडा की एमडी अंशुली आर्या, बीसीसी के पूर्व अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल, चैम्बर उपाध्यक्ष श्री शशि मोहन, कोषाध्यक्ष सुबोध कुमार जैन, महामंत्री राजा बाबू गुप्ता, गणेश खेतड़ीवाल आदि मौजूद थे। धन्यवाद ज्ञापन उपाध्यक्ष शशि मोहन ने किया।

इथेनाल मुद्दे पर केन्द्र कर रहा नाइंसाफी : मोदी

उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने आरोप लगाया है कि इथेनॉल के मुद्दे पर केन्द्र राज्य के साथ नाइंसाफी कर रहा है। केन्द्र की नीति राज्य के दर्जनों निवेश प्रस्ताव के खिलाफ हैं। श्री मोदी एसोचैम के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि केन्द्र का यह कहना कि गन्ना से सीधे इथेनॉल का उत्पादन उपयोगी नहीं है और महंगी है, गलत है। वस्तुत: इसका निर्णय उद्यमियों को करना है।

श्री मोदी ने एसोचैम से अन्य राज्यों के 'सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम एक्ट' का अध्ययन कर बिहार के परीप्रेक्ष्य में सुझाव मांगा। यही नहीं निवेशकर्ताओं को होने वाली परेशानियों की भी जानकारी उपलब्ध कराने की अपील की। उन्होंने दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता जैसे बड़े शहरों में ऐसे सम्मेलन कराने और बिहार के बदले परिवेश की जानकारी उद्यमियों को देने का भी अनुरोध एसोचैम से किया। उपमुख्यमंत्री ने बिहार में बैंकों के रवैये को औद्योगिकीकरण के मार्ग में बड़ी बाधा बताया और कहा कि वहाँ से ऋण मिलने में बड़ी परेशानी होती है। उन्होंने जगदीशपुर-हल्दिया गैस पाइप लाइन के काम में तेजी लाने के लिए भी केन्द्र पर दबाव डालने का अनुरोध किया।

(साभार : हिन्दुस्तान 15 दिसम्बर 2011)

चैंबर ऑफ कॉमर्स की बैठक में बोले डीजीपी

हर नागरिक की करेंगे सुरक्षा

व्यवसायियों की सुरक्षा के साथ ही राज्य के एक-एक नागरिक की सुरक्षा के प्रति सजग है बिहार की पुलिस। पीड़ितों को न्याय मिल रहा है। अपराधी कोई भी हो, कानून के शिकंजे से नहीं बच सकता। ये बातें पुलिस महानिदेशक अभयानंद ने कहीं। वे 24 दिसम्बर 2011 को बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्वागत सभा में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि पुलिस अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए प्रयत्नशील है। सार्थक पहल हो रहे हैं। बेहतर परिणाम भी मिल रहे हैं। छह दिसम्बर की घटना पंजाब के व्यवसायी का बेतिया में अपहरण व उसकी बरामदगी का उदाहरण देते हुए कहा कि अब तो दूरभाष के माध्यम से भी प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। अपराधियों को दबोचा जा रहा है। स्पीडी ट्रायल के माध्यम से अपराधियों पर नकेल कसी जा रही है। लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा। इसे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के तहत लॉजिकल अंत तक ले जाना होगा। इसके लिए समाज के हर तबका को पूर्ण सहयोग करना होगा। तब बात बनेगी। पुलिस के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है।

स्वागत भाषण के दौरान बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह ने बिहार में पुलिस की बेहतर कार्यप्रणाली पर चर्चा करते हुए अपराध पर नियंत्रण व स्पीडी ट्रायल के लिए डीजीपी को धन्यवाद दिया।

उक्त बैठक में पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय) जे० एस० गंगवार, उप-पुलिस महानिदेशक (मानवाधिकार) एस० रविन्द्रन, ग्रामीण एसपी मनोज कुमार भी उपस्थित थे।

बैठक को संबोधित करते डीजीपी श्री अभयानंद। उनकी दाँयीं ओर क्रमशः चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह, तत्कालीन उपाध्यक्ष श्री शशि मोहन, तत्कालीन महामंत्री श्री राजा बाबू गुप्ता, कोषाध्यक्ष श्री सुबोध कुमार जैन एवं पूर्व अध्यक्ष श्री युगेश्वर पाण्डेय।

बीसीसी सदस्यों के सवाल और डीजीपी के जवाब

व्यवसायियों पर झूठे केस दर्ज होते हैं, केस दर्ज करने वाले का पूरा पता व फोटो भी एफआईआर में दर्ज होना चाहिए।

ओ० पी० साह (अध्यक्ष, बीसीसी)

कोई भी व्यक्ति किसी के खिलाफ मामला दर्ज करायेगा, तो एफआइआर तो होगी ही, केस झूठे हैं या सच, यह जाँच के दौरान वरीय अधिकारी देखेंगे। एफआइआर में पता के साथ फोटो देने की कोई योजना नहीं है। जब तक सूचक फोटो देगा, तब तक अपराधी फरार हो जाएगा। यह कारगर नहीं है।

थाने जाने में हिचक होती है। थानेदार जल्द बात नहीं सुनते हैं। ऐसी शक्ति दें कि थाने में अपनी बात को हम रख सकें।

युगेश्वर पांडे (पूर्व अध्यक्ष)

थाने में अब भी कई समस्याएँ हैं उन्हें दूर करने का प्रयास हो रहा है। थानेदार नहीं सुनते हैं तो वरीय अधिकारियों को बताएँ। जरूरत पड़ी तो आपके घर तक पुलिस प्राथमिकी दर्ज करने जा सकती है।

गया में सर्राफा व्यवसायी अमित कुमार की हत्या हुई है। अब तक उसमें कुछ नहीं हो पा रहा है। वहाँ व्यवसायी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं।

कौशलेंद्र प्रताप (सीबीसीसी, गया)

वहाँ के एसपी से बात कर आगे की कार्रवाई की जानकारी दी जायेगी। अपराधी किसी भी हालत में बच नहीं पायेंगे। व्यवसायी असुरक्षित महसूस नहीं करें।

चैन स्नेचिंग की घटनाएँ बढ़ गयी हैं

सुषमा साहू (पूर्व वार्ड आयुक्त)

पुलिस अपने स्तर से प्रयास कर रही है। चेन स्नेचरों पर नकेल कसने के लिए जरूरत पड़ी तो सीआइडी का सहयोग लिया जा सकता है।

पटना में ट्रैफिक की समस्या विकराल है।

के० के० अग्रवाल (चैंबर ऑफ कॉमर्स)

ट्रैफिक की समस्या तो है। इससे मैं भी अक्सर जूझता हूँ। इस पर सभी को मिल-जुल कर ध्यान देना होगा। **(साभार : प्रभात खबर 25.12.2011)**

डीजीपी के साथ दिनांक 24.12.2011 को आयोजित बैठक में चैम्बर अध्यक्ष का स्वागत संबोधन

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स तथा राज्य के व्यापारी एवं उद्यमी समुदाय की ओर से मैं राज्य के पुलिस महानिदेशक तथा पुलिस प्रशासन के वरीय पदाधिकारियों का स्वागत् करता हूँ। हमारा आमंत्रण स्वीकार करने के लिये तथा आज की सभा में आने के लिये हम आपके प्रति अपना हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। हम पुलिस महानिदेशक महोदय के विशेष आभारी हैं जिन्होंने इस सभा में आने के हमारे आग्रह को सहर्ष स्वीकार कर पधारने की कृपा की है। मुझे अपने मित्रों, प्रसिद्ध व्यवसायियों एवं उद्यमियों जो यहाँ उपस्थित हैं, को यह सूचित करने में अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है कि महानिदेशक महोदय भी हमसे मिलने के लिये उतने ही उत्सुक थे जितनी कि हमलोग उनसे मिलने के लिये।

महोदय, आप राज्य पुलिस प्रशासन के कई सर्वोच्च पदों के माधयम से प्रान्त को अपनी उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान कर चुके हैं। अपराध नियंत्रण हेतु आपके द्वारा प्रारम्भ किए गए कई Effective and Pragmatic Initiatives यथा Speedy Trial, Prosecution under Arms Act आदि जैसे Inovative Measures का ही सुखद फल है कि आज बिहार देश के उन राज्यों की श्रेणी में गिना जाता है जहाँ अपराध की दर काफी कम है तथा समाज भयमुक्त वातावरण में आगे बढ़ रहा है।

यह अत्यन्त संतोष की बात है कि दशकों के बाद हमारे राज्य में भयमुक्त वातवरण का निर्माण पिछले कुछ वर्षों में हुआ है और कोई संगठित बड़ी आपराधिक घटना नहीं हुई। चाहे व्यापार हो या सरकार के विकास के कार्य हर जगह लोग विश्वास एवं सुरक्षा के साथ कार्यरत हैं। कानून एवं व्यवस्था में जनता का भरोसा पुर्नस्थापित हुआ है और पुलिस प्रशासन में पारदर्शी व्यवस्था भी लागू करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं।

महोदय, आपके द्वारा अन्वेशी एवं प्रगतिशील कदम उठाए जा रहे हैं, जिनके द्वारा आप बिहार पुलिस बल को सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहते हैं। हम राज्य की आम जनता की भलाई के प्रति आपकी संवेदनशीलता तथा आपकी सरलता से भी पूर्ण रूप से परिचित हैं।

अभी हाल में ही Teachers Eligibility Test की परीक्षाएं पूरे प्रान्त में आयोजित की गई जिसमें लगभग 26 लाख परीक्षार्थी सम्मिलित हुए जो कि शायद अपने आप में एक विश्व रेकॉर्ड है। कदाचार मुक्त एवं बिना किसी अप्रिय घटना के घटित हुए इस परीक्षा का सफल संचालन में बिहार पुलिस की मुख्य भूमिका रही। मै डीजीपी महोदय के माध्यम से प्रान्त के पुलिस प्रशासन एवं पुलिस बल के प्रति हार्दिक आभार एवं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ।

महोदय, आप हमारे इस विचार अवश्य ही सहमत होंगे कि अपराधियों को बेरोजगारी ही जन्म देती है। जब तक कि युवकों को पर्याप्त रोजगार नहीं प्राप्त होगा अपराध पर पूर्णत: अंकुश लगाना संभव नहीं होगा। उद्योग एवं व्यवसाय की रोजगार सृजन में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। अत: अपराध नियंत्रण के लिए भी उद्योग एवं व्यवसाय का समुचित विकास नितान्त आवश्यक है। उद्योग एवं व्यवसाय की समुचित उन्नति में पुलिस प्रशासन का बहुत ही अहम भूमिका है । यह हर्ष का विषय है कि पुलिस प्रशासन द्वारा अपराध पर अंकुश लगाये जाने के फलस्वरूप राज्य में निवेशक आकर्षित हो रहे हैं परन्तु अभी भी आवश्यकता इस बात की है कि पुलिस प्रशासन को और अधिक चुस्त-दुरूस्त बनाया जाय जिससे कि अधिकाधिक संख्या में बाहरी निवेशक भी बिहार की ओर आकर्षित हो पाएं।

महोदय, इधर कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें व्यवसायियों को बेवजह झूठे मुकदमें दायर कर परेशान किया जा रहा है। अत: हमारा सुझाव है कि ऐसा प्रावधान अथवा नियम बनाया जाय कि केस दर्ज करनेवाले व्यक्ति का पूरा पता साथ ही फोटो आदि लेने के पश्चात ही केस दायर किया जा सके। इस संबंध में खेतान सुपर मार्केट ऑनर्स एसोसिएशन एवं भोजपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री, आरा से प्राप्त पत्र की प्रति आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु सुपुर्द कर रहा हूँ।

महोदय, पटना के साथ राज्य के अन्य प्रमुख शहरों में ट्राफिक जाम की समस्या विकराल रूप लेती जा रही है । हालाँकि यह समस्या केवल पुलिस विभाग से ही संबंधित नहीं है बल्कि इसमें कई विभागों की भागीदारी होती है इसलिए हमारा सुझाव है कि सभी संबंधित विभाग के पदाधिकारियों की एक कमिटी बनाकर संयुक्त रूप से पहल किया जाए तथा एक ठोस कार्य योजना बनायी जाए तो मुझे उम्मीद है कि काफी हद तक ट्राफिक जाम की समस्या से निजात मिल सकती है।

राज्य सरकार एवं पुलिस प्रशासन के उच्च पदाधिकारियों की कार्य संस्कृति के अनुरूप निचले स्तर पर अभी भी कार्य संस्कृति Develop नहीं हो पाई है और सरकार की नीति एवं कार्यक्रम अक्षरश: Percolate नहीं हो पाते हैं । उत्कृष्ट पुलिस प्रशासन हेतु हम इस ओर भी आपका ध्यान दिलाना चाहतें हैं ।

ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट शुरु

हेल्पलाइन नम्बर	वेबसाईट
0612 – 2219543	www.patnatrafficpolice.in

घर से निकलने से पहले हेल्पलाइन नंबर पर भी ले सकते हैं जानकारी (साभार : हिन्दुस्तान 25.12.2011)

एक से अधिक साइन बोर्ड लगाने पर ही कराना होगा रजिस्ट्रेशन : पाल

एक माह तक नहीं होगी कार्रवाई

दिनांक 4 जनवरी 2012 को बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स में निगम व प्रशासनिक अधिकारियों के साथ व्यावसायियों की बैठक में व्यावसायिक प्रतिष्ठान में साइन बोर्ड लगाने का मुद्दा प्रमुखता से उठा। नगर आयुक्त पंकज कुमार पाल ने कहा कि एक साइन बोर्ड के लिए न तो रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता है और न कोई फीस है। एक से अधिक बोर्ड के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी हैं इस पर एक महीने तक कोई कार्रवाई नहीं होगी। इस दौरान रजिस्ट्रेशन करवा लें। इसके अलावा अपार्टमेंट के अंदर दुकानों के मामले में दो बोर्ड एक साइज के लगाये जा सकते हैं। जिन लोगों के घर के सामने कूड़ा केन्द्र है, अगर कोई परेशानी है तो वे विकल्प बतायें कि कहाँ कूड़ा केंद्र स्थापित किया जाये।

बैठक को संबोधित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह। उनकी बायीं ओर क्रमशः प्रमंडलीय आयुक्त डॉ० के० पी० रामय्या एवं नगर आयुक्त श्री पंकज कुमार पाल तथा दाँयी ओर क्रमशः महामंत्री श्री संजय कुमार खेमका, उपाध्यक्ष श्री गणेश कुमार खेतड़ीवाल, उपाध्यक्ष श्री नन्दे कुमार एवं कोषाध्यक्ष श्री सुबोध कुमार जैन।

पढ़े – लिखे लोग आएं

प्रमंडलीय आयुक्त डॉ० के० पी० रामय्या ने कहा कि हर वार्ड में 10-20 लोगों की लिस्ट बनायी जाये ताकि समस्याओं का फीडबैक मिल सके। उन्होंने कहा कि होल्डिंग टैक्स बैंक में जमा करने की सुविधा मिलनी चाहिए। हर वार्ड में रेसिडेंसियल वेलफेयर एसोसिएशन की जरूरत है। बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह ने कहा कि राजधानी का ड्रेनेज सिस्टम काफी पुराना हो गया है। नगर निगम की शाखा कार्यालय सभी वार्डों में स्थापित होनी चाहिए। बैठक में बीसीसी के पूर्व अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल सहित कई व्यापारी उपस्थित थे। धन्यवाद ज्ञापन बीसीसी के महामंत्री संजय खेमका ने किया।

प्रमंडलीय व निगम आयुक्त ने व्यवसायियों के साथ की बैठक

बंद पड़े लिंक रोड का मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। ऐसे रोड खुलने चाहिए।
— *जुगेश्वर पांडेय*, पूर्व अध्यक्ष, बीसीसी

कूड़ा-कचरा की परेशानी से बचने के लिए मुहल्ला कमेटी बनाने की जरूरत है। सफाई के लिए सभी को मिल-जुल कर काम करना होगा
— *सिद्धेश्वरी प्रसाद सिंह*, वरीय अधिवक्ता

बिना पूर्व सूचना के नगर निगम द्वारा होर्डिंग हटाने का काम किया गया। इससे व्यवसायियों को परेशानी होगी — *महावीर मोदी*, व्यवसायी

ग्राहकों की सुविधा के लिए साइन बोर्ड लगाते हैं, न कि विज्ञापन करने के लिए।
— *अजय कुमार*

ट्रांस्पोर्ट नगर में अतिक्रमण व वाटर ड्रेनेज की समस्या है — *आनंद कुमार*

जगदेव पथ के पास नाले पर अतिक्रमण है। घर में पानी घुस जाता है।
— *एल० एन० पोद्दार*

चिरैयाटांड़ के पूरब की सड़क खराब है।
— *पशुपति नाथ पाण्डेय*

हथुआ मार्केट के व्यवसायी अतिक्रमण से परेशान है — *मुकेश जैन*

निजी विज्ञापन के लिए स्वीकृति जरूरी

निगम क्षेत्र में निजी, व्यक्तिगत, लीज भूखंड, मकान, दुकान और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर नियोन गलो, एलइटी, फ्रंटलीट, बैकलीट और ग्लो साइज विज्ञापन लगाने के लिए निगम से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके लिए निगम प्रशासन ने आवेदन जारी किया है जो निगम मुख्यालय में 50 रुपये में उपलब्ध है। इस आवेदन को एक माह के अंदर निगम मुख्यालय में जमा कराना है। मुख्य नगर अभियंता रामस्वार्थ सिंह ने बताया कि आवेदन 11 जगहों पर उपलब्ध है। आवेदन मिलने के तीन दिनों में जाँच और विज्ञापन की एकरारनाम स्वीकृति जारी की जायेगी। एक माह के अंदर एकरारनामा स्वीकृति नहीं लेने वालों पर कार्रवाई की जायेगी।

इन जगहों पर मिल रहा आवेदन

- नागरिक सुविधा केन्द्र-निगम मुख्यालय, मौर्या लोक परिसर, बांकीपुर अंचल, नूतन राजधानी अंचल, पटना सिटी अंचल, कंकड़बाग अंचल, पश्चिम बोरिंग कैनाल रोड, इन्द्रप्रस्थ अपार्टमेंट के समीप।
- नूतन राजधानी, कंकड़बाग, बांकीपुर व पटना सिटी अंचल कार्यालय

विज्ञापन एजेंसियों पर होगी कार्रवाई

नगर निगम से 67 विज्ञापन एजेंसियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है लेकिन सिर्फ 35 विज्ञापन एजेंसियाँ प्रतिवर्ष पुरानी दर पर बिना एकरारनामा किये राशि जमा कर रही थीं। यह काम निगमकर्मियों और विज्ञापन एजेंसियों की मिलीभगत से हो रहा था। इससे निगम को प्रतिवर्ष करोड़ो रुपये के राजस्व की क्षति हो रही थी। इस नुकसान को रोकने के लिए नगर आयुक्त ने कठोर कदम उठाते हुए सभी विज्ञापन होर्डिंग की मान्यता रद्द कर दी और निर्देश दिया कि पाँच जनवरी तक हर विज्ञापन एजेंसी अपनी विज्ञापन होर्डिंग की जगह, साइज और अन्य सूचनाएँ उपलब्ध करा दें। विज्ञापन एजेंसियाँ सूचनाएँ उपलब्ध कराने लगी हैं। इस आधार पर निगम प्रशासन डिमांड राशि की गणना करने में जुट गया है। इसे नहीं देने वाली विज्ञापन एजेंसियों पर कार्रवाई की जायेगी। गौरतलब है कि अक्टूबर, 2007 से विज्ञापन होर्डिंग के लिए नयी दर को नजरअंदाज कर पुरानी दर पर राशि जमा करती रही। इसका लेखा-जोखा लेने वाला कोई नहीं था। वर्तमान में निगम में राजस्व के अभाव में कर्मचारियों को वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा है तो निगम प्रशासन ने राजस्व बढ़ाने की मुहिम चला दी, इसका असर भी दिख रहा है। नगर आयुक्त पंकज कुमार पाल ने बताया कि गुरुवार तक विज्ञापन एजेंसियों से सूचनाएँ मांगी गयी हैं। डिमांड राशि नहीं देने वाले विज्ञापन एजेंसियों पर कार्रवाई की जाएगी। **(साभार : प्रभात खबर 5.01.2012)**

दिनांक 4 जनवरी, 2012 को आयुक्त, पटना प्रमंडल एवं आयुक्त, पटना नगर निगम के साथ आयोजित बैठक में चैम्बर अध्यक्ष का उद्‌बोधन

मैं आयुक्त पटना प्रमंडल डॉ० के० पी० रमैया जी एवं नगर आयुक्त श्री पंकज कुमार पॉल जी का हमारे अनुरोध को स्वीकार कर बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों के साथ बैठक की सहमति देने के लिए उनके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए स्वागत करता हूँ। यह प्रसन्नता का विषय है कि पटना प्रमंडल के आयुक्त तथा नगर आयुक्त के साथ तीन महीने की अल्पावधि में आज यह दूसरी बैठक हो रही है जिसके लिए हम डॉ० के० पी० रमैया जी के आभारी है जिन्होंने गत बैठक में किये गये अपने

वायदे के अनुसार दुबारा चैम्बर सदस्यों के साथ पारस्परिक विचार-विमर्श हेतु पधारने की अपनी कृपापूर्ण सहमति देते हुए नगर आयुक्त महोदय को भी दुबारा बैठक में आमंत्रित किया है। इससे आदरणीय आयुक्त महोदय की पटना प्रमंडल के समुचित विकास के प्रति कटिबद्धता स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है ।

नगर आयुक्त के पास पटना के नागरिकों की Civic Amenities शहर के सौंदर्यीकरण के साथ-साथ बिहार राज्य जल पर्षद एवं पटना क्षेत्रिय विकास प्राधिकार के कार्यों के सम्पादन की जिम्मेवारी है। हलांकि यह जिम्मेवारियाँ अपने-आपमें काफी महत्वपूर्ण तथा वृहत हैं परन्तु नगर आयुक्त के अनुभव एवं कुशल नेतृत्व की क्षमता के आलोक में हमें विश्वास है कि पटना नगर निगम शहर के नागरिक सुविधाओं के साथ-साथ जल पर्षद एवं क्षेत्रिय विकास प्राधिकार से संबंधित कार्यों के समुचित प्रबंधन में सफल रहेगा । हमारे सदस्यों से प्राप्त सूचना के अनुसार इधर कुछ दिनों से पटना शहर के विभिन्न भागों में पटना नगर निगम द्वारा दुकान एवं प्रतिष्ठान के नाम लगे बोर्ड को हटाने का आदेश दिया जा रहा है। साथ ही संबंधित दुकान अथवा प्रतिष्ठान को यह सूचना भी नहीं दी जा रही है कि ऐसे आदेश का आशय अथवा कारण क्या है ।

श्रीमान् नगर आयुक्त आप हमारे विचार से सहमत होंगे कि नामपट लगाया जाना दुकानों एवं प्रतिषठानों के लिए अत्यन्त आवश्यक है। साथ ही सरकार के विभिन्न कानूनों के अन्तर्गत भी नामपट लगाना अनिवार्य है। बिना आशय अथवा कारण बताये इस प्रकार की कार्रवाई कई प्रकार भ्रांती पैदा कर रही है। जहाँ तक कि हमें ज्ञात है कि Bihar Municipal Act 2007 के अन्तर्गत भी दुकानों एवं प्रतिष्ठानों को नामपट लगाने के लिए न तो कोई शुल्क देय होता है अथवा ना ही इसका पंजीयन कराना अनिवार्य होता है।

इस संबंध में हमने पत्र के माध्यम से भी निगम से उचित मार्गदर्शन मांगा था जो कि अभी तक प्राप्त नहीं हो पाया है। अत: हम आपसे अनुरोध करना चाहते हैं कि कृपया हमें सूचित करने की कृपा करें कि निगम के अधिकारी किन प्रावधानों के अनुसार दुकानों एवं प्रतिष्ठानों से नामपट हटाने का आदेश दे रहे हैं एवं उनसे पंजीकरण कराने का आग्रह कर रहे हैं।

हमें समाचार-पत्रों से ज्ञात हुआ है कि प्रात: 9.00 बजे के बाद कूड़ा फेंकने वालों को दंडित किया जाएगा। यह एक स्वागतयोग्य कदम है तथा इस आदेश की मंशा यह होगी कि निगम द्वारा एक निश्चित समय सीमा पर कूड़ेदानों से कचरा साफ कराने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। अत: हमें चाहेंगे कि इसके लिए सर्वप्रथम कूड़ास्थलों को चिन्हित कर स्थानीय स्तर पर इसकी Proper सूचना लोगों को दी जाए। कूड़ा केन्द्र किसी के घर के सामने नहीं बनाया जाए ।

प्रत्येक शहर के नागरिकों की यह इच्छा होती है कि उनका शहर साफ-सुथरा एवं सुन्दर रहे। पटना के लोग भी ऐसा ही चाहते हैं तथा इस हेतु अपने योगदान के लिए तत्पर हैं परन्तु निगम सफाई एवं सुन्दरता के नाम पर नागरिकों को नाहक परेशान न करे, इसका भी उसे ध्यान रखना चाहिए।

राजधानी पटना में Proper Civic Amenities के विकास के संबंध में हमने आपको पहले भी सुझावों से अवगत कराया है। कुछ सुझाव आज की इस बैठक में भी आपको सुपुर्द कर रहा हूँ। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप इन पर यथाशीघ्र सकारात्मक पहल करेंगे ।

हमें यह बताते हुए अत्यन्त हर्ष एवं संतोष हो रहा है कि आदरणीय डॉ० के० पी० रमैया, पटना प्रमंडल में Civic Amenities तथा दूसरी सुविधाओं के समुचित विकास के लिए पूर्णरूपेण कृतसंकल्पित हैं जिसका लाभ हमें लगातार प्राप्त हो रहा है । महज तीन माह की अवधि में ही नागरिक समस्याओं से अवगत होकर उनका समाधान तलाशने हेतु आयोजित आज की यह बैठक भी डॉ० रमैया साहब के Commitment तथा Dedication का एक सुन्दर तथा अनुकरणीय उदाहरण है । हम प्रमंडलीय आयुक्त की इस विकोसोनुमखी सोच तथा सार्थक प्रयासों के लिए उनके अनुगृहित हैं ।

बिहार में निवेश करें प्रवासी भारतीय

बिहार ने प्रवासी भारतीयों को निवेश के लिए आमंत्रित किया है। जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित 10वें प्रवासी भारतीय दिवस समारोह में बिहार स्टेट सेशन में उद्योग मंत्री डॉ० रेणु कुमारी ने यह आमंत्रण दिया।

उन्होंने प्रवासी भारतीयों को हर सुविधा मुहैया कराने का आश्वासन दिया और कहा कि बिहार में इस समय निवेश का बेहतर माहौल बना है। उद्योग विभाग के प्रधान सचिव सी० के० मिश्रा ने कहा कि राज्य विकास के रास्ते पर तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में उद्यमियों के लिए अच्छा अवसर है। उन्होंने राज्य सरकार के विकास कार्यों की विस्तार से जानकारी दी और कहा कि पूंजी निवेश के लिए बिहार में उपर्युक्त आधार तैयार है। उन्होंने कई सेक्टरों की विशेष रूप से चर्चा भी की। इसके पहले सत्र में देश-विदेश से आए प्रवासी भारतीयों का बियाडा की एमडी अंशुली आर्या ने स्वागत किया। इस अवसर पर उद्योग निदेशक, बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, सीआईआई के प्रतिनिध और बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि श्री नन्हे कुमार, उपाध्यक्ष उपस्थित थे। जयपुर में सात से नौ जनवरी के बीच 10वें प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस वर्ष का थीम 'ग्लोबल इंडियन: इन्क्लूसिव ग्रोथ' था। इसी के आधार पर राज्य सरकार ने बिहार स्टाल में विकासोन्मुखी कार्यक्रमों की झलक प्रस्तुत की थी। इसने प्रवासी भारतीयों को जमकर आकर्षित किया। सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले प्रवासी भारतीयों को बिहार राज्य के 100वें स्थापना वर्ष के अवसर पर बिहार फाउंडेशन द्वारा 17 से 19 फरवरी तक पटना में आयोजित 'ग्लोबल समिट ऑन चेन्जिंग बिहार' में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। बिहार स्टॉल पर झारखंड के मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा भी आए। उन्होंने इसकी खूब तारीफ की।

(साभार : हिन्दुस्तान 10.01.2012)

होल्डिंग टैक्स: बकायेदारों के नाम होंगे सार्वजनिक

उप-मुख्यमंत्री ने हाल्डिंग टैक्स वसूली की समीक्षा के दौरान नागरिकों से यह अपील की कि समय से अपने होल्डिंग टैक्स का बकाया जमा करें, ताकि नगर निकायों की माली हालत में सुधार हो सके। इससे पहले नगर विकास मंत्री प्रेम कुमार ने बैठक में जानकारी दी कि 'सेटेलाइट मैपिंग' के जरिये राजधानी पटना के सभी अंचलों में होल्डिंगों का नक्शा तैयार कर लिया गया है। भौतिक सत्यापन भी शीघ्र करा लिया जाएगा।

कहाँ क्या रेट

पटना नगर निगम निकायों में आदर्श माना जाता है मगर यहाँ भी मात्र डेढ़ लाख होल्डिंग निर्धारित है। नयी-नयी कालोनियाँ बसती जा रही हैं, नये-नये मकान और अपार्टमेंट बनते जा रहे हैं मगर होल्डिंग टैक्स के मामले में निगम का खजाना खाली है।

टैक्स आवासीय, उपयोग व्यावसायिक

आवासीय होल्डिंग टैक्स देकर व्यावसायिक उपयोग करने वाले नगर निगम तीन गुणा राजस्व को क्षति पहुँचा रहे हैं। नगर निगम का होल्डिंग कर ढांचा सड़कों के आधार पर निर्धारित है। शहर में सड़कों को तीन श्रेणी में बाँटा गया है। सामान्य सड़क पर व्यवसाय करने वालों को प्रति वर्गफीट 18 रुपये, मुख्य सड़क पर 36 रुपये और प्रधान सड़क पर 54 रुपये प्रति वर्गफीट की दर से सालाना टैक्स देना है। होल्डिंग का दूसरा श्रेणी अन्य कार्य के लिए प्रधान मुख्य सड़क पर 36 रुपये प्रति वर्गफीट, मुख्य सड़क पर 24 रुपये प्रति वर्गफीट तथा सामान्य रोड पर मात्र 12 रुपये प्रति वर्गफीट की दर से सालाना टैक्स देना है। आवासीय उपयोग करने वालों को प्रधान मुख्य सड़क पर 18 रुपये, मुख्य सड़क पर 12 रुपये और सामान्य सड़क पर 6 रुपये प्रति वर्गफीट के दर से सालाना टैक्स चुकाना है।

होल्डिंग टैक्स प्रतिवर्ग पफीट (रुपये में)

सड़क	आवासीय	वाणिज्य	अन्य
प्रधान	18 रुपये	54 रुपये	36 रुपये
मुख्य	12 रुपये	36 रुपये	24 रुपये
सामान्य	6 रुपये	18 रुपये	12 रुपये

(साभार : दैनिक जागरण 6.01.2012)

गोदाम बनाइए, आधी छूट पाइए

अपनी जमीन पर गोदाम बनाइये और आधा पैसा सरकार से लीजिए। भंडारण की समस्या से निपटने के लिए सरकार ने किसानों को यह नया फार्मूला दिया है। किसान सालो भर उसे किराये पर लगाकर अपनी आमदनी बढ़ाएँ या फिर खुद इस्तेमाल करें, सरकार को इससे कोई परेशानी नहीं है लेकिन जरूरत पड़ने पर सरकार भी उपयोग कर सकती है। बदले में वह किसानों को उचित किराया देगी।

- अनुसूचित जाति और महिलाओं के लिए अलग से कोटा तय
- गोदामों के लिए प्लान और एलिवेशन दोनो तैयार
- पांच लाख रुपये सरकार किसानों को देगी अनुदान
- लघु, सीमांत और महिला किसानों के लिए 33% कोटा तय

विस्तृत समाचार : हिन्दुस्तान 27.12.2011)

अब सभी बैंकों में जमा होगा टैक्स

राज्य सरकार जल्द ही व्यापारियों को राहत देने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया एवं सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया में टैक्स जमा करने की व्यवस्था करने जा रही है। अगर व्यापारी अन्य बैंकों में टैक्स जमा करने चाहते हैं तो वे सेन्ट्रल बैंक की साइट खोलकर अन्य 47 बैंकों से जुड़ सकते हैं और अपना टैक्स जमा कर सकते हैं। फिलहाल राज्य के रजिस्टर्ड डीलर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एवं पंजाब नेशनल बैंक में ई-पेमेंट के माध्यम से टैक्स जमा करते हैं। इससे व्यापारियों को काफी परेशानी हो रही है। व्यापारियों को मजबूरन उक्त दोनों बैंकों में खाता खोलवाना पड़ता था। हाल ही में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी सरकार से मांग की थी कि स्टेट बैंक एवं पंजाब नेशनल बैंकों के अलावा अन्य सरकारी बैंकों के अलावा निजी बैंकों में भी इससे जोड़ा जाए। व्यापारियों की मांग को देखते हुए सरकार सभी बैंकों में ई-पेमेंट की व्यवस्था करने जा रही है।

विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार ने सालाना एक लाख से अधिक टैक्स देने वालों को ई-पेमेंट के माध्यम से टैक्स जमा करना अनिवार्य कर दिया है। जो व्यापारी ऐसा नहीं करेंगे उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के साथ-साथ कारोबार करने पर भी रोक लगाई जाएगी। **(साभारः हिन्दुस्तान 23.12.2011)**

बिहार सरकार
वाणिज्य–कर विभाग

पत्रांक: बिक्री कर/संशोधन–05/2007/27 पटना, दिनांक: 4.1.2012

प्रेषक,

राजित पुनहानी

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-सचिव, बिहार, पटना

सेवा में,

सभी अंचल प्रभारी, वाणिज्य कर विभाग

विषय: **औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2006 एवं 2011 के अंतर्गत वैट/प्रवेश कर के प्रतिपूर्ति के संबंध में।**

प्रसंग: **बिहार चैम्बर ऑपफ कॉमर्स, पटना का रेपफरेन्स नं०– 654/14.11.2011**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2006 के अधीन दिनांक 01.04.2006 से दिनांक 30.06.2011 के बीच वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने वाली वैसी नयी इकाई जिन्हें उद्योग विभाग के सक्षम प्राधिकार द्वारा पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त है उन्हें अनुमान्य अवधि/राशि के लिए औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2011 के अधीन पुनः पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

2. ऐसी औद्योगिक इकाई जो औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2006 के तहत दिनांक 01.04.2006 से दिनांक 31.03.2011 तक की अवधि में पाँच वर्षों तक छूट ले चुका है, उन्हें औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2006 की विस्तारित अवधि अर्थात् दिनांक 01.04.2011 से दिनांक 30.06.2011 तक के लिए तत्काल छूट अनुमान्य नहीं होगा क्योंकि औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2006 में स्पष्ट रूप से अंकित है कि यह सुविधा मात्र पाँच वर्षों के लिए होगी एवं इसका प्रकार अन्य विस्तारित सुविधाओं से भिन्न हो जाता है, अतएव इस पर सरकार द्वारा समुचित विचार कर अलग से निर्णय लिया जायेगा।

3. ऐसी औद्योगिक इकाई, जो औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2006 के तहत पाँच वर्षों तक छूट ले चुका है, उन इकाईयों को औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2006 के लागू होन की तिथि अर्थात् दिनांक 01.07.2011 से पाँच वर्षों के लिए वर्त्तमान में पूर्व कार्यरत औद्योगिक इकाईयों के रूप में दी जाने वाली सुविधा अनुमान्य होगा।

4. औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2011 के अंतर्गत प्रवेश कर की राशि वैट के आऊटपुट टैक्स से सामंजित होने की स्थिति में नई इकाईयों के साथ-साथ कार्यरत इकाईयों को भी प्रतिपूर्ति हेतु अनुमान्य होगी।

सम्प्रति उपर्युक्त के आलोक में प्रतिपूर्ति से संबंधित आवेदनों को शीघ्रताशीघ्र निष्पादित किया जाय।

विश्वासभाजन,

ह०/–

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-सचिव, बिहार, पटना

ज्ञापांक–27 पटना दिनांक 4.1.2012

प्रतिलिपः सभी वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित एवं प्रतिलिपः श्री ओ० पी० साह, अध्यक्ष, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स, पटना / अध्यक्ष, बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, पटना / माननीय उप-मुख्यमंत्री (वाणिज्य-कर) के आप्त सचिव/अपर आयुक्त (बिक्री कर), मुख्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/–

WM-11 (28)/2011

Government of India
Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution
Department of Consumer Affairs

Krishi Bhawan, New Delhi - 110 001
Dated : 30th November, 2011

To

The Controller of Legal Metrology, All States & UTs.

Subject: Compliance of sub rule 7 of rule 18 of the Legal Metrology (Packed Commodities) Rules, 2011-Reg.

Sir,

The sub rule 7 of Rule 18 of the Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011 is having following provisions:

"All retailers who are covered under the Value Added Tax (VAT) or Turn Over Tax (TOT) and dealing in packaged commodities whose net content declaration is by weight or volume or a combination thereof shall maintain an electronic weighting machine of at least accuracy class III, with smallest division of at least 1 g, with facility to issue a printed receipt indicating among other things, the gross quantity, price and the like at a prominent place in their retail premises, free of cost, **for the benefit of consumers and the consumers may check the weight of their packaged commodities purchased from the shop on such machine."**

2. It has come to the notice of this department that the some of the retail stores and outlets who are covered under above provisions are not following that said provisions.

3. It is requested to take necessary action and submit the Action Taken Report at the earliest.

Yours faithfully
(B. N. Dixit), Director Legal Metrology
Ph. : 23389489/23386194, Fax : 23385322
Email : dirwm-ca@nic.in

बिहार सरकार

कृषि (माप-तौल) विभाग

ज्ञापांक– 1231 दिनांकः 26.12.2011

कार्यालय संयुक्त कृषि निदेशक–सह–नियंत्रक, माप एवं तौल, बिहार, पटना

प्रतिलिपि संयुक्त नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान / उप नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान / सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञान (सभी) को सूचनार्थ एवं आपके स्तर से सभी संबंधित निरीक्षक, विधिक माप विज्ञान को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

ह०/–

नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, बिहार, पटना

ज्ञापांक– 1231 दिनांकः 26.12.2011

प्रतिलिपि अध्यक्ष, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बिहार, पटना / अध्यक्ष, खुदरा व्यापारी संघ, पीरमोहानी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, बिहार, पटना

राजनेता दिखाएं बड़प्पन

भाजपा के प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राजनेताओं में बड़प्पन आ जाये तो हिन्दुस्तान का भला हो जायेगा। हरिहरनाथ जैसे पुराने लोगों में बड़प्पन था, लेकिन अब यह धीरे-धीरे हमारे समाज से लुप्त होता जा रहा है। इसे रोकने की जरूरत है। छोटी- छोटी बातों पर राजनेता बिफर जाते हैं। ये बातें रविशंकर प्रसाद ने 6 जनवरी 2012 को बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स में कहीं। अवसर था बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष हरिहरनाथ की प्रथम पुण्यतिथि का। उन्होंने कहा कि हरिहरनाथ के जज्बों को अपने दिल में उतारें और बिहार को आगे बढ़ाएँ, यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

उद्योग जगत में पहचान बनायी

शिक्षा मंत्री पी० के० शाही ने कहा कि हरिहरनाथ ने बिहार के उद्योग जगत में एक पहचान बनायी। उनमें उद्यमिता थी। 1980 के दशक में उद्योग धंधे बिहार में बंद होने लगे तो वे हमेशा चिंतित रहते थे। बिहार में उद्योग पुनर्जीवित हो सके, इसके लिए प्रयासरत रहते थे। उनकी पुण्यतिथि पर कोई-न-कोई कार्यक्रम अवश्य होना चाहिए, यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। चैम्बर के अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह ने कहा कि उद्योग व्यवसाय के प्रति उनका प्रेम अंतिम अवस्था तक था। मौके पर मानवाधिकार आयोग के सदस्य नीलमणि, पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव मनोज कुमार श्रीवास्तव, आलोक राज, चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष एम० एल० खेतान, पी० के० अग्रवाल, जुगेश्वर पांडेय, वरीय अधिवक्ता सिद्धेश्वरी प्रसाद सिंह सहित चैम्बर के सदस्य काफी संख्या में उपस्थित थे। (साभार : प्रभात खबर 7.01.2012)

चैम्बर अध्यक्ष हरिहर नाथ की प्रथम पुण्यतिथि मनी

कार्यक्रम में उपस्थित (बाँयें से बाँयें) क्रमशः चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह, माननीय सांसद श्री रविशंकर प्रसाद, माननीय शिक्षा मंत्री श्री पी० के० शाही एवं मानवाधिकार आयोग के सदस्य श्री नीलमणि

अब 28 फरवरी तक जमा होगा पेशाकर

वाणिज्य कर विभाग द्वारा हाल ही में लागू प्रोफेशनल टैक्स जिन लोगों ने अब तक जमा नहीं किया है, वे घबराएं नहीं। राज्य सरकार ने उनको एक और मौका दिया है। वाणिज्य कर विभाग ने पेशाकर जमा करने की अंतिम तिथि 28 फरवरी कर दी है। इसके लिए अलग से किसी प्रकार का कोई जुर्माना और कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा।

पेनॉल्टी का प्रावधान

राज्य सरकार ने पेशाकर में पेनॉल्टी का भी प्रावधान रखा है। इसके तहत अगर कोई संस्थान या व्यक्ति समय पर (15 नवम्बर तक) पेशाकर जमा नहीं करेगा तो उसे 2 प्रतिशत ब्याज प्रमिमाह देना होगा। यदि कोई नियम का उल्लंघन करता है तो उसे प्रतिदिन 10 रुपये और अधिकतम 500 रुपये जुर्माना लगेगा।

वेबसाइट पर भी सुविधा

राज्य सरकार ने पेशाकर की पूरी जानकारी वेबसाइट पर भी दे दी है। वेबसाइट पर सभी प्रकार के प्रपत्र के साथ-साथ पेशाकर की पूरी नियमावली भी है। अगर लोग चाहे तो वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड कर आवेदन भी कर सकते हैं।

कहाँ होगा टैक्स जमा

राज्य सरकार ने पेशाकर को जमा करने के लिए हेड निर्गत कर दिया है। पेशाकर में आने वाले लोग आर0028001070003 के हेड पर अपना टैक्स जमा कर सकते हैं। यह टैक्स ट्रेजरी चालान के माध्यम से बैंक में जमा होगा।

प्रोफेशनल टैक्स का स्लैब

राशि	3 लाख तक	3 से 5 लाख तक	5 से 10 लाख तक	10 लाख से ऊपर
प्रो० टैक्स	0 रुपये	1000 रुपये	2000 रुपये	2500 रुपये

(साभार : हिन्दुस्तान 27.12.2011)

अब चीनी पर लगेगा टैक्स

अतिरिक्त उत्पाद शुल्क हटने से राज्य सरकार को लगा रहा करोड़ो का

इस साल अप्रैल से चाय थोड़ी कड़वी हो सकती है। कारण है कि राज्य सरकार चीनी पर टैक्स लगाने जा रही है। हालांकि अभी तक इस बिन्दु पर राज्य सरकार ने अंतिम निर्णय नहीं लिया है कि चीनी पर कितना टैक्स लिया जाए।

इधर वाणिज्य कर विभाग ने इस बारे में विचार करना शुरू कर दिया है। उम्मीद की जा रही है कि वित्तीय वर्ष 2012-13 से चीनी पर टैक्स लग जाएगा।

जानकारी के अनुसार चीनी पर जो अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगता था वह बेसिक उत्पाद शुल्क में मर्ज कर दिया गया है। यानी पूर्व में राज्य सरकार को चीनी से जो शेयर मिलता था, वह अब नहीं मिलेगा। मर्ज हो जाने से केन्द्र को ही चीनी का पूरा राजस्व मिलेगा। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार चीनी पर टैक्स लगाने पर विचार कर रही है। जहाँ तक टैक्स लगाने की बात है राज्य सरकार को अतिरिक्त उत्पाद शुल्क से कितना राजस्व मिलता था उसे जानने के बाद ही टैक्स की दर निर्धारित होगी। बताया जाता है कि अन्य पड़ोसी राज्यों को ध्यान में रखते हुए ही चीनी पर टैक्स का निर्धारण किया जाएगा। फिलहाल बंगाल एवं झारखंड में चीनी पर कोई टैक्स नहीं है जबकि उत्तर प्रदेश में चीनी पर टैक्स लगता है।

बढ़ेगा दाम

• बिहार में चीनी की खपत (महीना) : 7-8 लाख क्विंटल • बिहार में चीनी की खपत (सालाना) : 7-8 लाख टन • पिछले साल बिहार में गन्ने की उपज : 40 लाख टन • इस साल बिहार में गन्ने की उपज : 65 लाख टन • पिछले साल चीनी का उत्पादन : 3.8 लाख टन • इस साल चीनी उत्पादन की उम्मीद : 5.4 लाख टन

टैक्स लगने पर राज्य सरकार को मिलेगा राजस्व

टैक्स रेट	1 प्रतिशत	5 प्रतिशत	13.5 प्रतिशत
राजस्व (प्रति माह)	2 करोड़ 40 लाख	12 करोड़	32 करोड़ 40 लाख

(30 रुपये प्रति किलो के आधार पर)

(साभार : हिन्दुस्तान 10.11.2012)

EDITORIAL BOARD
K. P. Singh
Chairman
Library & Bulletin Sub-Committee

Editor
Sanjay Kumar Khemka
Secretary General

Printer & Publisher
Eqbal Siddiqui
Addl. Secretary

Telephones : 3200646, 2677605, 2677635, Fax No. : 0612-2677505, E-mail : bccpatna@gmail.com

Price Rs. 0.25

Design & Printed by : Sharada Enterprises, Patna, Ph.:0612-2690803, 2667296